न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 117/2025(GCMS 2025/470)

(RTI No. 212618471047839)

डॉ. रिचा गुप्ता पुत्री श्री राजेश कुमार गुप्ता निवासी हाउस नम्बर 1576, सेक्टर 49–बी, पुष्पक एनक्लेव, चंडीगढ़

बनाम

तहसीलदार (राजस्व), पदमपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

16.03.2026

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री रिचा गुप्ता अथवा उनके प्रतिनिधि आज स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 20.11.2025 से तहसीलदार (राजस्व), पदमपुर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही थी, जो सहायक लोक सूचना अधिकारी ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी रिचा गुप्ता ने अपने प्रार्थना पत्र से तहसीलदार (राजस्व), पदमपुर से निम्न सूचना चाही थी :

> The Appellant sought certified copies of all revenue records pertaining to ancestral land and property, inherited and registered in the names of the undermentioned individuals, to ascertain and protect the lawful share of Master Sahaj Sood under the Succession Act, 1956
>
> 1. Shri Ajay Sood S/o Late Shri Gandhavasen sood
> 2. Smt Anita Sood W/o Shri Ajay Pal Sood and
> 3. Shri Amrish Sood S/o Sgri Ajay Pal Sood
>
> All residens of House No. 546, A-Block, Ward No. 12, Padampur, District Ganganagar, Rajasthan Under Sections 2(f), 2(i), 2(j) and 6(1) of the RTI Act

तहसीलदार(राजस्व), पदमपुर ने अपने पत्रांक आरटीआई/2025/335 दिनांक 20.11.2025 से प्रार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

> उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा चाही गई सूचना प्रश्नवाचक होने के कारण तथा खोज कर खोजे गये तथ्यों के आधार पर होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 के तहत सूचना उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान नहीं है। आप स्वयं कार्यदिवस में कार्यालय में उपस्थित होकर रिकॉर्ड का नि[illegible] वांछित रिकॉर्ड की नकल प्राप्त कर सकते है।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), पदमपुर ने अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.04.01 12:24:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 117/2025
(GCMS No. 2024/470)
(RTI No. 212618471047839)
रिचा गुप्ता बनाम तहसीलदार (राजस्व), पदमपुर

की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है, जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त ''सूचना'' का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इसलिए सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), पदमपुर ने अपील का जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, पदमपुर को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी यदि किसी निश्चित सूचना हेतु पुनः आवेदन करें तो उसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार सूचना उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), पदमपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी एक प्रति निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक [illegible] कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.04.01 12:24:20 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर